

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था. (विधान सभा)-12-04/2011...../राँची, दिनांक :...../

—: कार्यालय आदेश :-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा, का अष्टम (बजट) सत्र दिनांक 17.01.2017 से दिनांक 07.02.2017 तक आहूत की गई है। उक्त सत्र के दौरान पदाधिकारी दीर्घा में विभागीय पदाधिकारियों की प्रतिदिन उपस्थिति के निमित्त कार्य दिवस में तिथिवार भाग लेने हेतु निम्नलिखित सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम/वर्तमान पदस्थापन/ मोबाईल नम्बर	झारखण्ड विधान सभा में प्रतिनियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री शंकर प्रसाद सहायक अभियंता, बांध एवं गेट रूपांकण अंचल-01, राँची, 9835903347	17.01.2017 एवं	
2.	श्री मोहन चन्द्र गुप्ता, सहायक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची, 9835148687	18.01.2017	
3.	श्री राजेन्द्र रविदास, सहायक अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची, 9939107170	19.01.2017 एवं	
4.	श्री सुरेश राम, सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-01, राँची, 9546524557	20.01.2017	
5.	श्री मकर चौधरी, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, राँची, 9431393520	21.01.2017 एवं	
6.	श्री सिद्धान्त कुमार, सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची, 9608180248	23.01.2017	
7.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियंता, योजना आयोजन अंचल, सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची, 9431327330	24.01.2017, 28.01.2017 एवं	
8.	श्री विनोद कुमार शर्मा, सहायक अभियंता, योजना आयोजन अंचल, सम्प्रति उड़नदस्ता, राँची, 9430730650	30.01.2017	
9.	श्री कांशीनाथ मोदी, सहायक अभियंता, जलपथ अंचल, राँची 9431155563	31.01.2017 एवं	
10.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची, 9431771526	02.02.2017	



1	2	3	4
11.	श्री अरुण कुमार, सहायक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची 9473351865	03.02.2017 एवं 04.02.2017	
12.	श्री विजय कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची, 9122565461		
13.	श्री लक्ष्मी नारायण, सहायक निदेशक, क्रय एवं परिवहन, जल संसाधन विभाग, राँची, 9973536953	06.02.2017 एवं 07.02.2017	
14.	श्री रामाकान्त प्रसाद, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची, 7070128805		

2. संबंधित सहायक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि सदन में उठाये जाने वाले विषयों के संबंध में अपनी चर्या टिप्पणी प्रतिदिन विभागीय सचिव/विधान सभा कोषांग (प्रशाखा-06) को उसी दिन 5.00 बजे अपराह्न में उपलब्ध करायेगें ताकि विधान सभा सत्र के दौरान उठाये जाने वाले मामले पर समुचित कार्रवाई की जा सके।

3. विधान सभा परिसर/पदाधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्रक प्रतिनियुक्ति की तिथि के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे संबंधित पदाधिकारी विधान सभा कोषांग (प्रशाखा-06) से प्राप्त कर लेंगे।

4. संबंधित सहायक अभियंता, उप सचिव (अभियंत्रण) एवं अवर सचिव, प्रशाखा-06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क में रहेंगे एवं 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं अपराह्न में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

5. मोबाईल न.

(i) उप सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची, 9470522057

(ii) अवर सचिव, प्रशाखा-06 (प्रभारी विधान सभा कोषांग), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची, 9430777067

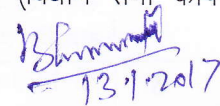
ह./-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 169

राँची, दिनांक :- 13-01-17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-06, प्रभारी (विधान सभा कोषांग) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13.1.2017

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)